उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
U.P.Power Corporation Limited
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
CIN : U32201UP1999SGC024928
शक्ति भवन विस्तार, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

संख्याः–2170–औ0सं0–17/पाकालि/2023–11(01)ए0एस0/09(2023–24) **दिनांकः 20 मई, 2023**

विषय :– उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा पूर्व मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों की मान्यता अवधि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा पूर्व मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों/चिकित्सा संस्थानों की मान्यता पूर्ववत् कारपोरेशन द्वारा निर्धारित प्रतिबन्धों/शर्तो एवम् अनुमोदित चिकित्सा दरों के अधीन कारपोरेशन के आदेश सं0–4452–औस–17/पाकालि/02, दिनांक 09.12.2002 एवम् आदेश संख्या–3593–औस–17/पाकालि/2003, दिनांक 21.07.03 तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या–3330–औसं/2018–11 (28) ए0एस0/2004 (VOL-2015/CGHS) दिनांक 08 अगस्त, 2018 में निहित प्राविधानों/मानकों एवम् अनुमोदित चिकित्सा दरों के अधीन मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों को दी गयी मान्यता सम्बन्धी भिन्न–भिन्न आदेशों के अनुक्रम में **संलग्न सूची–1 एवं सूची–2** में इंगित चिकित्सालयों/चिकित्सा संस्थानों की मान्यता एतद्द्वारा निम्न प्रतिबन्धाधीन बढ़ायी जाती है :–

1. **संलग्न सूची–1** में इंगित चिकित्सालयों/चिकित्सा संस्थानों की मान्यता उनको दी गयी पूर्व मान्यता अवधि से निरन्तरता प्रदान करते हुए दिनांक 30.04.2024 तक बढ़ायी जाती है। **(संलग्न सूची–1)**

2. **संलग्न सूची–2** में इंगित चिकित्सालयों/चिकित्सा संस्थानों द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा नवीनीकृत प्रमाण–पत्र उपलब्ध नहीं कराये गये हैं। कर्मचारियों को असुविधा न हो अतः चिकित्सालय प्रबन्धनों द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में वैधता बढ़ाये जाने सम्बन्धी आवेदन पत्र की छायाप्रति, आयकर नियम–3 'A' के अन्तर्गत प्राप्त Exemption Certificate एवं सीजीएचएस–2014 की मानक दरों पर चिकित्सा सुविधा प्रदान करने की सहमति उपलब्ध किये जाने के दृष्टिगत इन चिकित्सालयों को जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत नवीनीकृत प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किये जाने की प्रत्याशा में अवसर प्रदान करते हुए उनको दी गयी पूर्व मान्यता अवधि से निरन्तरता सहित दिनांक 30.06.2023 तक बढ़ायी जाती है। **(संलग्न सूची–2)**

   यदि दिनांक 30.06.2023 तक उक्त चिकित्सालयों द्वारा कारपोरेशन द्वारा वांछित जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत नवीनीकृत प्रमाण–पत्र–2023–2024 उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो सम्बन्धित चिकित्सालयों को मान्यता सूची से विलोपित कर दिया जायेगा।

3. **सूची–1 एवं सूची–2** मे उल्लिखित समस्त चिकित्सालयों एवं चिकित्सा संस्थानों को कारपोरेशन द्वारा निर्धारित सी0जी0एच0एस0–2014 की मानक दरें ही अनुमन्य की जायेगी एवं निर्धारित दरों से अधिक चार्ज करने पर चिकित्सालय की मान्यता समाप्त करने का अधिकार कारपोरेशन प्रबन्धन को होगा। चिकित्सालयों को जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत वैध पंजीयन प्रमाण–पत्र यदि उनके द्वारा प्रदान की गयी मान्यता अवधि से पूर्व समाप्त हो जाता है या समाप्त कर दिया जाता है, तो उस चिकित्सालय की मान्यता समाप्त हो जायेगी।

4. कारपोरेशन के प्रबन्धन को यह अधिकार होगा कि मान्यता अवधि से पूर्व कभी भी चिकित्सालयों की मान्यता बिना कोई पूर्व सूचना व कारण बताए समाप्त की जा सकती है।

Prumal

क्रमशः 2....../–

5. **सूची–1 एवं सूची–2** मे उल्लिखित अन्तः रोगी के रूप में कराये गये उपचार हेतु मान्यता प्राप्त समस्त चिकित्सालय एवं चिकित्सा संस्थान वाह्य रोगी के रूप में गम्भीर रोगों हेतु लम्बी अवधि तक चलने वाली बीमारियों का उपचार कराने हेतु भी मान्य होंगे। वाह्य रोगी के रूप में कराये गये उपचार के सम्बन्ध में कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप सं0–2335–औ0सं0–17/पाकालि/2020 दिनांक 27.08.2020 द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तें यथावत् रहेंगी।

6. **सूची–1 एवं सूची–2** मे उल्लिखित समस्त चिकित्सालय एवं चिकित्सा संस्थान उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के साथ–साथ उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0/उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 एवं उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0 के कार्मिकों/पेन्शनरों एवं उन पर पूर्णतः आश्रित परिजनों के उपचार हेतु अधिकृत होंगे।

7. सूचीबद्ध किसी भी चिकित्सालय के प्रबन्धन द्वारा विभागीय नियमों, प्रतिबन्धों/शर्तों का उल्लंघन करने, विभाग द्वारा निर्धारित चिकित्सा दरों से विचलित होने अथवा विभाग द्वारा निर्धारित मानकों/मापदण्डों से अनावरित पाये जाने की दशा में चिकित्सालयों की मान्यता बिना किसी पूर्व सूचना अथवा कारण बताये, समाप्त किये जाने पर विचार किया जा सकता है।

संलग्नक :– यथोपरि।

निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)

संख्याः–2170 (1)औ0सं0–17/पाकालि/2023–तद्दिनांक :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ से सम्बद्ध निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ से सम्बद्ध निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, 8वॉ तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के निजी सचिव।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
5. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)/(वितरण)/(वित्त)/(वाणिज्य)/(कारपोरेट प्लानिंग), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. निदेशक (का0प्र0) उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0/निदेशक (कार्य एवं परियोजना), शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7. प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मध्याँचल, लखनऊ/पूर्वान्चल, वाराणसी/पश्चिमांचल, मेरठ/दक्षिणाँचल, आगरा एवं केस्को, कानपुर।
8. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग/जॉच समिति उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
9. मुख्य अभियन्ता (जल–विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण), को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित है कि वे अपने स्तर से उक्त आदेश की प्रति अपने
    अधीनस्थ सभी अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता को उपलब्ध करा दें।
11. महाप्रबन्धक (औ0सं0)/उप महाप्रबन्धक (औ0सं0)/ कार्मिक अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।

Purnal

क्रमशः 3...../–

12. समस्त अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनु सचिव/मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक (लेखा/वित्त/प्रशासन/कारपोरेट टैक्स), उप–मुख्य एवं वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
13. समस्त अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव, प्रशासनिक एवं लेखा स्कन्ध, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
14. कम्पनी सचिव, पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
15. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0–407, शक्ति भवन विस्तार को कारपोरेशन की वेबसाइट www.uppcl.org-Medical पर अपलोड करने हेतु।
16. महाप्रबन्धक (चिकित्सा), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
17. सूचीबद्ध समस्त चिकित्सालयों से सम्बन्धित जिला पंजीकरण प्राधिकारी, उ0प्र0।
18. प्रबन्धकगण– सूचीबद्ध समस्त चिकित्सालय।
19. सचिव, विद्युत पेंशनर्स परिषद (उ0प्र0), 103 कीर्ति अपार्टमेण्ट स्टेशन रोड, लखनऊ।
20. कट फाइल ।

आज्ञा से,

Pkumar 30/5/23

(प्रदीप कुमार)

उप महाप्रबन्धक (औ0सं0)

कार्यालय ज्ञाप संख्या–2170–औसं–17/2023–11(1)ए0एस0/09(2023–24), दिनांक 20.05.2023 द्वारा दिनांक 30.04.2024 तक मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों की सूची

(उ0प्र0 शासन द्वारा संचालित सभी ऐलोपैथिक/होम्योपैथिक/आयुर्वेदिक/युनानी आदि चिकित्सालय/संस्थान स्वतः कारपोरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त है।)

सूची–1

क्र0सं0	चिकित्सालय का नाम एवं जनपद	मान्यता की अन्तिम प्रमावी तिथि
1	मेदान्ता लखनऊ (Unit of Medanta Holdings Pvt Ltd.) सेक्टर–ए, पॉकेट–1 सुशान्त गोल्फ सिटी, अमर शहीद पथ, लखनऊ।	30.04.2024
2	चन्दन हॉस्पिटल, फैजाबाद रोड निकट फ्लाईओवर, विजयन्त खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।	30.04.2024
3	मेयो मेडिकल सेण्टर प्रा0लि0,विकास खण्ड–II गोमतीनगर, लखनऊ।	30.04.2024
4	मैट्रो हॉस्पिटल एण्ड हार्ट इन्स्टीट्यूट, मल्टी स्पेशियलिटी विंग, एल– 94, सेक्टर–11, नोयडा।	30.04.2024
5	एपेक्स हॉस्पिटल, डी0एल0डब्लू0, हाईडिल रोड, वाराणसी	30.04.2024
6	मेदान्ता द मेडिसिटी हॉस्पिटल, सेक्टर– 38,गुडगाँव हरियाणा।	30.04.2024

Pkumar 20/5/23

(प्रदीप कुमार)
उप महाप्रबन्धक (औ0सं0)

कार्यालय ज्ञाप संख्या–2170–औसं–17/2023–11(1)ए0एस0/09(2023–24), दिनांक 20.05.2023 द्वारा दिनांक 30.06.2023 तक मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों की सूची

(उ0प्र0 शासन द्वारा संचालित सभी ऐलोपैथिक/होम्योपैथिक/आयुर्वेदिक/युनानी आदि चिकित्सालय/संस्थान स्वतः कारपोरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त है।)

सूची–2

क्र0सं0	चिकित्सालय का नाम एवं जनपद	मान्यता की अन्तिम प्रभावी तिथि
लखनऊ 1	आस्था सेन्टर फॉर गिरीयाट्रिक मेडिसिन पालिएटिव केयर हॉस्पिटल एण्ड सोसियल वेलफेयर सोसाइटी बी–52, जे–पार्क, महानगर, लखनऊ।	30.06.2023
2	मेडिक्स इण्टरनेशनल लाइफ साइंसेज लि0, (अपोलो मेडिक्स सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटलस्) के0बी0सी0 –31,सेक्टर–बी एल0डी0ए0 कालोनी कानपुर रोड, लखनऊ।	30.06.2023
3	एस0सी0 त्रिवेदी मैमोरियल मदर एण्ड चाइल्ड ट्रस्ट हॉस्पिटल, ए–1/7, सेक्टर–एच, निकट केन्द्रीय भवन, लखनऊ।	30.06.2023
4	अभिनव दृष्टि नेत्र चिकित्सालय, बी–719, सेक्टर–सी, महानगर, लखनऊ।	30.06.2023
5	लखनऊ आई हॉस्पिटल, 82/40–क, गुरू गोविन्द सिंह मार्ग लालकुआँ, लखनऊ।	30.06.2023
6	लखनऊ कैंसर इन्स्टीट्यूट, जियामऊ, लखनऊ।	30.06.2023
7	एस0के0डी0 हॉस्पिटल, केबीसी–27, सेक्टर–बी, फिनिक्स मॉल के पास, आलमबाग, कानपुर रोड, लखनऊ।	30.06.2023
8	चरक हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेण्टर, दुबग्गा, हरदोई रोड़, लखनऊ।	30.06.2023
9	सन आई हॉस्पिटल एण्ड लेजर सेन्टर, प्रा0लि0, 57–बी, सिंगारनगर, आलमबाग, लखनऊ।	30.06.2023
10	डिवाईन हार्ट एण्ड मल्टी स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, लखनऊ।	30.06.2023
मेरठ 11	जसवन्त राय स्पेशियल्टी हास्पिटल, मवाना रोड़ मेरठ।	30.06.2023
गाजियाबाद 12	मानव मल्टी स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, बी–ब्लाक मार्केट, कविनगर, गाजियाबाद।	30.06.2023
13	यशोदा हॉस्पिटल एण्ड रिर्सच सेण्टर 3 एम, नेहरू नगर गाजियाबाद।	30.06.2023
नोयडा। 14	कैलाश हास्पिटल एण्ड हार्ट इन्स्टीट्यूट, एच–33, सेक्टर 27, नोयडा।	30.06.2023

Rumal 20/5/22

15	नेयो हॉस्पिटल, डी0–170–ए, सेक्टर– 50, नोएडा, (ए यूनिट ऑफ मुस्कान मेडिकल सेण्टर)।	30.06.2023
16	तिवारी आई सेण्टर, सुपर स्पेशियलिटी आई हॉस्पिटल, सी0–2 सी, सेक्टर–55, नोयडा।	30.06.2023
17	फेलिक्स हेल्थ केयर प्रा0लि0,एन0एच0–01, सेक्टर–137, नोयडा।	30.06.2023
बुलन्दशहर 18	मोहन हॉस्पिटल एण्ड हार्ट सेन्टर, सिविल लाइन्स, बुलन्दशहर।	30.06.2023
कानपुर 19	फार्च्यून हॉस्पिटल, 117/क्यू/40–ए, शारदानगर, कानपुर।	30.06.2023
प्रयागराज 20	प्राची हॉस्पिटल प्रा0लि0, (मल्टी स्पेशियलिटी हॉस्पिटल) सेक्टर–सी–105, शान्तिपुरम्, फाफामऊ, प्रयागराज।	30.06.2023
नई दिल्ली **21**	फोर्टिस एस्कार्ट हार्ट इन्स्टीट्यूट एवं रिसर्च सेण्टर लि0, ओखला रोड, नई दिल्ली।	30.06.2023

Pkumar 20/5/23

(प्रदीप कुमार)
उप महाप्रबन्धक (औ0सं0)